

अंचल कार्यालय महेशपुर।
राजस्व विविध पाद अभिलेख संख्या-118/18-17
(विहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा-4(1)के अन्तर्गत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अन्यवृत्ति
	-: आदेश :- इस पाद की कार्यावाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/रा0प्र00 (दिशा निर्देश)-95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता पाकुड़ के आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजलूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में मौजा देवीनगर थाना संख्या-118 अनाबादी खाता संख्या-81 दाग संख्या-114 रकबा-03 बीघा 16 कट्ठा 17 धूर किस्म-पोखर राजस्व पंजी-11 के होलिडिंग संख्या- 207 में प्रतिमा सुन्दरी देवी ग्राम-देवीनगर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के कायम जमाबंदी विलोपन हेतु प्रारम्भ किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा राजस्व दस्तावेज एवं स्थलीय जॉचोपरान्त अनुशासित जॉच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा देवीनगर थाना संख्या-118 अनाबादी खाता संख्या-81 दाग संख्या-114 रकबा-03 बीघा 16 कट्ठा 17 धूर विगत सर्वे खतियान में किस्म-पोखर कहकर दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि बिना आधार प्रविष्टि एवं साक्ष्य दस्तावेज के राजस्व पंजी-11 में जमाबंदी फर्जी तरिके से जमाबंदी कायम की गई है, जो भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने हेतु सरकारी भूमि को हड़पने कब्जा करने का प्रयास है। संबंधित जमाबंदी रैयत को इस कार्यालय के ज्ञापांक-524/रा0 दिनांक-18.07.2016 से निर्गत के माध्यम से अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज समर्पित करने हेतु दिए गए निदेश के आलोक में पंजी-11 रैयत की तरफ से जितेन्द्र कुमार सिंह वास्ते स्व0 प्रतिमासुन्दरी देवी द्वारा तत्कालीन भुलपूर्व जमींदार द्वारा कथित रूप से प्रदत्त अनिबंधित हुक्मनामा/परवाना के साथ-साथ दो भू-लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है। यह विदित है कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कमवार-सह-वर्षवार भुलगान रसीद के साथ साथ जमींदार द्वारा दखिल रिटर्न का भी अवलोकन आवश्यक है। सिर्फ अनिबंधित हुक्मनामा एवं कायम जमाबंदी के आधार पर प्रश्नगत दाग की भूमि पर पंजी-11 रैयत का दावा स्वीकार्य नहीं है। पंजी-11 में नाम दखिल होने संदर्भित आधार साक्ष्य प्रविष्टि भी अंकित नहीं है। भू-लगान रसीद किसी भूमि पर स्वत्व के दावे का दस्तावेज नहीं है। अतः समर्पित जॉच प्रतिवेदन आलोक में मौजा देवीनगर थाना संख्या-118 अनाबादी खाता संख्या-81 दाग संख्या-114 रकबा-03 बीघा 16 कट्ठा 17 धूर किस्म-पोखर की राजस्व पंजी-11 के होलिडिंग संख्या 207 में प्रतिमा सुन्दरी देवी ग्राम-देवीनगर के नाम कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। स्वीकृत्यादेश हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ को भेजें। लेखापित एवं संशोधित <i>01/06/21</i> अंचल अधिकारी महेशपुर	अन्यवृत्ति

अंचल अधिकारी
01/06/21
महेशपुर